# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 08/2021 प्रा0पत्र                                निर्णय दिनांकः– 14.06.2021

1. लोभचन्द पुत्र उंकारलाजी जाति लौहार आयु 60 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. गीता पुत्री उंकारलाजी जाति लौहार आयु 55 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. भुरालाल पुत्र उंकारलाजी जाति लौहार आयु 50 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. मुबारित हुसैन पिता रहीम बक्ष जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भुरालाल पिता मिटठुलाल जी जाति कुम्हार आयु 60 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. बद्रीदास पिता अम्बादास जाति बैरागी आयु 55 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. किशनलाल पिता नानालालजी जाति लौहार आयु 36 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. मुन्नालाल उर्फ रामनारायण पिता कालुरामजी जाति लौहार आयु 55 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
5. लक्ष्मण पिता कालुराम जाति लौहार आयु 40 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
6. मुकेश पिता कालुराम जाति लौहार आयु 35 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
7. राजमल पिता रामरतन जाति लौहार आयु 35 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
8. कमलाबाई पत्नी बद्रीदास जाति बैरागी आयु 58 वर्ष निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
9. रमेश पिता रतनलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

## आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 710 की आराजी नं0 2093 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं

है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/—रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 710 की आराजी नं0 2093 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा